UPAZ010007632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ ।
उपस्थितः– जय प्रकाश पाण्डेय (एच० जे० एस०)
(JO CODE-UP 1883)
फौजदारी निगरानी सं० 33 सन् 2026

दि आर्य विधा सभा आजमगढ़ 372 हरबंशपुर (निकट डी.एम. आवास) आजमगढ़ जरिये मंत्री विनोद कुमार श्रीवास्तव उम्र 61 वर्ष पुत्र लालता लाल श्रीवास्तव निवासी मु०-372 हरिबंशपुर (निकट डी.एम. आवास), थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़। **–––––निगरानीकर्ता/प्रार्थी।**

बनाम

1- उत्तर प्रदेश सरकार

2- नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उम्र 69 वर्ष पुत्र स्व० हरिनाथ लाल श्रीवास्तव सा० मु०-डुगडुगवा, पोस्ट जमालपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

–––––विपक्षीगण।

निर्णय
(18-07-2026)

1- प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-1191/2025 दि आर्य विद्या सभा आजमगढ़ बनाम नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-22, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। इस प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज किया है।

2- संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र लालता लाल श्रीवास्तव निवासी मु०- 372 हरिवंशपुर (निकट DM आवास), थाना- सिधारी, जनपद- आज़मगढ का निवासी है। प्रार्थी उक्त संस्था का वर्ष 1996 से अब तक मंत्री पद पर है। इस पंजीकृत सोसाइटी के अन्तर्गत डी०ए०वी० इण्टर कालेज एवं डी०ए०वी० कालेज संचालित होता है । संस्था की कुछ दुकानें बनी हुई है जिनका किराया संस्था को मिलता है तथा मेरे द्वारा वसूल किया जाता है। श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पूर्व में संस्था के प्राथमिक सदस्य थे। प्रार्थी द्वारा समिति के कार्यकारिणी प्रस्ताव पर साधारण सभा की वार्षिक बैठक दिनांक 17.04.2016 को आहूत की गयी जिसमें नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहित 8 सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए संस्था से निकाल दिया गया जिसकी पुष्टि कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.07.18 16:45:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चिट्स आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के निर्णय दिनांक 05.09.2016 एवं 25.04.2024 से होती है। सोसाइटी कार्यालय में संस्था के साधारण सभा के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची वर्ष 2024-25 जो पंजीकृत है उसमें श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आदि का नाम नहीं है। श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दिनांक 17.04.2016 से संस्था के प्राथमिक सदस्य नहीं है एवं उनका निष्कासन विधि के अनुरूप है। मंत्री की हैसियत से मेरे द्वारा आहूत साधारण सभा की बैठक दिनांक 17.04.2016 में डी०ए०वी० इण्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक पद पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव चुने गये जिनको जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2016 के द्वारा मान्यता प्रदान किया तथा साधारण सभा की बैठक दिनांक 02.10.2016 में डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक पद पर श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव चुने गये जिनको कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने अपने आदेश दिनांक-05.05.2018 के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सिधारी थाना अंतर्गत हाल्ट स्टेशन के पास रहते है, ने अपने निष्कासन के पश्चात् स्वंय को संस्था का मंत्री कहते हुये संस्था के दुकानदारों से किराया वसूल किया उन्होंने संस्था को क्षति पहुचाने की नीयत से नाजायज लाभ प्राप्त करने हेतु अपने को मंत्री बताते हुये जगह-जगह लेटर पैड का दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। श्री नरेन्द्र कुमार ने संस्था की दुकान के किरायेदार श्रीमती कुसुम श्रीवास्तवा जो कोलघाट की निवासिनी हैं, को गुमराह कर संस्था की पुरानी शेष बची रसीदबुक में से रसीदों का दुरुपयोग करते हुए दिनाक 18.02.2018 को तथाकथित रसीद सं०-1171 द्वारा 3600/-रु० रसीद सं०-1172 द्वारा रु0-13,600/-रु०, दिनांक 16.07.2021 को रसीद सं०-1173 द्वारा रु०-24,800/- तथा उसी दिन रसीद सं0-1174 रु०-15,200/- एवं दिनाक 28.09.2021 को रसीद सं0-1175 दद्वारा 800/- रु० तथा दिनांक 23.02.2022 को रसीद सं०-1176 सं0-3200/- कुल 61200/- नगद प्राप्त कर धनराशि का गबन कर लिया है। उक्त रसीदों की छायाप्रति किरायादार श्रीमती कुसुम श्रीवास्तवा ने उपलब्ध कराया है। श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बातचीत के दौरान गाली गलौज, मारपीट व धमकी के स्तर पर उत्तर आये । उनके इस आपराधिक कृत्य से संस्था की आर्थिक क्षति हुयी है। प्रार्थी व संस्था के अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 09.04.2025 को ऐसा करने से मना करने पर श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए कहे कि अगर मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करोगे तो जिन्दा नहीं रहने दूंगा। प्रार्थी को श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव से जान माल का काफी खतरा हो गया है। मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यह कि प्रार्थी घटना की सूचना थाने पर दिया कोई कार्यवाही नही हुयी तो प्रार्थी व्दारा दिंनाक- 22/4/2025 को पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ को दस्ती प्रार्थना पत्र दिया कार्यवाही न होने पर पुनः दिनांक- 24/06/2025 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को जरिए रजिस्ट्री सूचना दिया । प्रार्थी मजबूर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रपट थानाध्यक्ष सिधारी को दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों

व साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरान्त प्रार्थी/ निगरानीकर्ता के पास मामले से सम्बन्धित पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होना पाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया।

3- संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा तथ्य एवं साक्ष्य के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो खण्डित होने योग्य है। विपक्षी द्वारा दि आर्य विद्या सभा आजमगढ़ का मंत्री न होते हुए अपने को मंत्री बताकर मंत्री पद का दुरूपयोग किया गया है। विपक्षी द्वारा संस्था का धन फर्जी एवं कूट रचित तरीके से प्राप्त कर अपने निजी उपयोग में लिया गया है जिसकी बरामदगी होना आवश्यक है। बरामदगी बिना पुलिस के संभव नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस से पुनः मंगाई गई स्पष्ट आख्या का अवलोकन किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4- विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही विश्लेषण न करके सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का है और परिवाद के माध्यम से समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करना सम्भव नहीं है, परन्तु इस तथ्य पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने ध्यान न देकर विधि एवं तथ्य के विपरीत तथा सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज करने हेतु आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि व विसंगति नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों का श्रवण किया तथा पत्रावली व आलोच्य आदेश का सम्यक परिशीलन किया।

6- पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-22, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20.01.2026 को आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी०एन०एस०एस० को इस आधार पर परिवाद के रूप में दर्ज किया गया कि "..... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- धारा-173 (4) बी०एन०एस०एस० के तथ्यों के परिशीलन से यह परिलक्षित है कि प्रार्थी स्वयं अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत मामले में घटना के सभी तथ्य प्रार्थी की जानकारी में है। कोई तथ्य उससे छिपा नहीं है। "

7- निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना

पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० में उल्लिखित तथ्यों से साफ स्पष्ट है कि विपक्षी /अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञेय अपराध बनता है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने विपक्षी अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश पारित न करके परिवाद के रूप में दर्ज करने में कानूनी त्रुटि व विसंगतियां कारित किया है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देना या उसे परिवाद के रूप में दर्ज करना या उसे निरस्त करना पूरी तरह से विचारण न्यायालय का न्यायिक विवेक अधिकार है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त का नाम, कथित गबन की धनराशि और फर्जी रसीदों के विवरण सहित सभी तथ्य निगरानीकर्ता/प्रार्थी के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं तथा इनसे सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य (रसीदों की छायाप्रतियां) भी प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके बावत विवेचना कराये जाने की आवश्यकता हो। इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अनुशीलन करने के उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुए आक्षेपित आदेश में जो निष्कर्ष अवधारित किया गया है, उसमें कोई कानूनी त्रुटि, विसंगति या क्षेत्राधिकार की भूल परिलक्षित नहीं होती है। आलोच्य आदेश पूर्णतः विधि सम्मत एवं न्यायसंगत है।

8- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है तथा उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.01.2026 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाय। पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक: **18.07.2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: **18.07.2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।